न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 103/14 (धारा 76 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2014/00017)

1. मूला पुत्र कुमरपाल (मृतक)
   1/1 कलावती पत्नी स्व0 मूला
   1/2 नारायनसिंह
   1/3 मोहनसिंह
   1/4 प्रेमसिंह — पुत्रान मूला — जाति धीमर निवासी नोह तहसील व जिला भरतपुर।
   1/5 श्यामसिंह
   1/6 निरोत्तमसिंह
2. तेजपाल पुत्र कुंवरपाल
3. भागो पुत्री कुंवरपाल पत्नी कालींचरन
4. शीला पुत्री कुंवरपाल पत्नीओम — जाति धीमर निवासी ठेई तहसील व जिला भरतपुर।
5. बुद्धो पुत्री कूंवरपाल पत्नी भरतसिंह — जाति धीमर निवासी ठेई तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

डूंगरसिंह पुत्र श्री कूंवरपाल जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 1.7.2014 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1021 दिनांक 8.9.2010

उपस्थितिः–

श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा सिविल न्यायालय के हुक्मन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 खोला गया था। इस नामान्तरकरण संख्या 1021 में रैस्पोडेन्ट डूंगरसिंह को 1/4 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया गया। तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 8.9.2010 को अपीलान्ट मूला के द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील में चुनौती देते हुये अनुतोष चाहा गया कि विवादित नामान्तरकरण में जिस सिविल न्यायालय के निर्णय/डिक्री का हवाला दिया गया है उस निर्णय डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर में विचाराधीन है। तहत न्यायालय ने दीवानी प्रकरण विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। तहत अदालत

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27/2/2024

जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2014 पारित करते हुये निर्णय किया कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 अति० सिविल न्यायाधीश (क०ख०) संख्या 1 भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.07.2010 का हवाला देते हुये मुताबिक निर्णय डिक्री 1/4 हिस्सा पर डूंगरसिंह को खातेदार दर्ज किया गया है इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक त्रुटी नहीं होना मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने का आदेश दिया है। जिला कलक्टर भरतपुर के उक्त आदेश दिनांक 01.07.2014 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलाधीन आदेश से संबधित मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट उपस्थित वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2014 के द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर ने नामान्तरकरण संख्या 1021 ग्राम नोह तहसील भरतपुर के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। जिस वसीयत को अपीलान्टस ने सिविल न्यायालय में चुनौती दी हुई है। उसी वसीयत का निर्णय व डिक्री में किये गये उल्लेख के आधार पर विवादित नामान्तरकरण में हवाला दिया है। जबकि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई है, जो कि अभी भी विचाराधीन है। इस प्रकार दीवानी प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश देने में हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने भारी त्रुटी की है। अपर सिविल न्यायाधीश (क०ख०) संख्या 1 भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2010 में कथित वसीयत को केवल 1/4 हिस्से तक वैद्य माना है और शेष 3/4 हिस्सा तक उसे शून्य एवं निस्प्रभावी घोषित किया है। इस प्रकार कथित वसीयत के आधार पर कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसके बाबजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की अनदेखी कर अपीलाधीन नामान्तकरण व निर्णय पारित करने में भूल की है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि सिविल न्यायालय ने भी अपने निर्णय व डिक्री में उत्तरवादी के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु कोई आदेश नहीं दिया था। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से भी नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखे जाने का निर्णय दिया हुआ है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 11.05.2001 को निरस्त किया गया है और कार्यवाही सिविल न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखी गयी थी। चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अभी भी विचाराधीन है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलीधीन आदेश नियम

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत/निर्णित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जबकि अपीलान्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिन्हें सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय व डिक्री की पालना में खातेदार दर्ज किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्टस व उत्तरवादी 6 भाई बहन रहे हैं। उनके पिता कुवंरपाल के द्वारा छोडी विवादित आराजी में वरावर का खातेदार काश्तकार राजस्व न्यायालय ने घोषित किया है। घोषणा के अनुसार उनके नाम खातेदारी की प्रविष्टियां की गई है और उसके बाद अपीलान्ट संख्या 4 ने अपीलान्ट संख्या 1/5 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र हस्तान्तरित कर दिया है तथा उसके नाम विकय पत्र के अनुसार जरिये नामान्तरकरण खातेदार भी दर्ज किया जा चुका है, परन्तु उक्त तथ्य को भी दोनों अदालत मातहतों द्वारा नजरअंदाज किया गया है। विवादित आराजी पर उत्तरवादी का अपीलान्टस के साथ 1/6 हिस्सा की खातेदारी निर्णय व डिक्री राजस्व न्यायालय ने दर्ज कर दी गई है यदि उसके नाम वसीयत से उत्तराधिकार प्रदान करना है तो उसका उक्त 1/6 हिस्सा निरस्त होना चाहिऐ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष आराजी में उक्त 1/6 हिस्सा को पूर्ववत दर्ज करने का आदेश दने में भारी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन आदेश नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार को नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही दोनों पक्षों का सुनकर निर्णित करनी चाहिऐ थी, परन्तु तहत अदालत ने अपीलान्टस को बिना सूचना दिये, बिना मौके के निरीक्षण के मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश बहक उत्तरवादी देने में भारी त्रुटी की है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। इसके अलावा विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय की ओर से पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है तथा रैस्पोडेन्ट की ओर से सिविल न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की कोई इजराय भी नहीं कराई गई है। इसलिऐ तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय था। इसके बाबजूद भी जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है, जो कि भारी कानूनी भूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 के विरूद्ध अपील पेश. की गई थी। जिसमें जिला कलक्टर ने उभयपक्षकारान को

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 को पारित किया है। उक्त निर्णय में वकील अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई अपील में वर्णित तथ्यों को उल्लेखित करते हुए यह माना है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 ग्राम नौह तहसील भरतपुर की पुश्त पर एवं कॉलम संख्या 14 में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 1 भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.07.2010 का हवाला देते हुए मुताबिक निर्णय डिक्री 1/4 हिस्से पर डूंगरसिंह को खातेदार दर्ज किये जाने का उल्लेख है। तहसीलदार ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 1 भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.07.2010 के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया हुआ मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि स्वयं अपीलान्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट द्वारा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में हुई वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसमें सिविल न्यायालय की ओर से दिनांक 16.07.2010 को आदेश पारित कर कथित वसीयत के 1/4 हिस्से तक वैद्य माना था तथा शेष 3/4 हिस्से तक उसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया है। सिविल न्यायालय की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 16.07.2010 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1021 खोले जाने व इसकी जॉच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने के बाद तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1021 को दिनांक 08.09.2010 को स्वीकृत करने का आदेश दिया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के दिन सिविल न्यायालय की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में पेश किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि सिविल न्यायालय की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.07.2010 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील पेश की हुई है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। इसलिए अपील विचाराधीन रहते हुए नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था तो इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा इस तरह का कोई प्रावधान हमारे समक्ष नहीं बताया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि किसी भी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश होने के आधार पर ही नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही नहीं की जावे। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 में भी यह उल्लेख किया गया है कि यदि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मंजूर हो जाती है तो अपीलाधीन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। अदालत मातहत के उक्त अभिमत से हम सहमत हैं कि यदि अपीलान्ट की ओर से सिविल न्यायालय की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध अपील में अन्यथा कोई निर्णय पारित होता है तो तदानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही पुनः की जा सकती है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि का नामान्तकरण खोले जाने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश जारी किया हुआ था तो इस संबंध में वकील

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27/4/2015
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट द्वारा न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में ही इस तरह के कोई स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि का नामान्तकरण खोले जाने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश नामान्तकरण खोले जाने के दिन प्रभाव में था। दूसरी ओर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 में राजस्व मण्डल की ओर से पारित स्थगन आदेश के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि दीवानी न्यायालय में जो वसीयत के संबंध में मुकदमा चल रहा है। उसके निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखी गई थी। नामान्तकरण संख्या 1021 दिनांक 08.09.2010 सिविल न्यायालय की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.07.2010 की पालना में खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर